भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1155
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजाति बहुल जिलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम

1155. श्री दिलीप शइकीया:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री महेश कश्यप:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री अनन्त नायक:
श्री भोजराज नाग:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में देश के जनजाति बहुल जिलों में लागू किए गए विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों का वर्ष- वार और राज्य-वार/ संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या हाल के आंकड़ों से जनजातीय आबादी में एनीमिया, कुपोषण या मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या देश में अत्यधिक जनजातीय आबादी वाले जिलों को चिन्हित करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;
(ङ) कुपोषण की उच्च दर वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और पोषण परिणामों में कमियों को दूर करने के लिए नियोजित या कार्यान्वित सुधारात्मक उपायों का राज्यवार/ संघ राज्यक्षेत्रवार और झारखंड और आंध्र प्रदेश में जिलावार विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में ब्यौरा क्या है, और
(च) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार से वर्ष 2025-2026 के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों सहित पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आंध्र प्रदेश सहित, देश भर में कई पहल की गई हैं जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) का संचालन, मुफ्त दवा सेवा पहल, मुफ्त निदान सेवा पहल, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशाकर्मी, 24x7 सेवाएं और प्राथमिक रेफरल सुविधा केंद्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति को लागू कर रहा है, जिसके तहत झारखंड और आंध्र प्रदेश के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों सहित, पूरे देश में, कुपोषण कैलोरी की कमी और प्रोटीन अपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाधान संबंधी कार्यकलाप भी शामिल हैं, इसका विवरण निम्नवत् है:

- **सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या:** नवजात गहन परिचर्या इकाइयाँ (एनआईसीयू)/विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में स्थापित की गई हैं, जबकि नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में बीमार और छोटे शिशुओं की परिचर्या के लिए स्थापित की गई हैं।
- कम वजन वाले/समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए **कंगारू मदर केयर (केएमसी)** को स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इसमें मां या परिवार के सदस्य के साथ शुरुआती और लंबे समय तक त्वचा से त्वचा का शारीरिक संपर्क और विशेष रूप से बार-बार स्तनपान कराना शामिल है।
- **मां का पूर्ण स्नेह (एमएए):** मां का पूर्ण स्नेह (एमएए) के तहत शुरुआती छह माह के लिए शीघ्र स्तनपान और विशेष स्तनपान तथा शिशु एवं शिशु आहार (आईवाईसीएफ) की उचित पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां गंभीर अत्यधिक कुपोषण (एसएएम) और चिकित्सा संबंधी जटिलताओं से ग्रस्त बच्चों को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है।
- नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों और विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले शिशुओं को आहार के लिए मां के अपने दूध या सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **स्तनपान प्रबंधन केंद्र** स्थापित किए जाते हैं।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** को छह लाभार्थी समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), प्रजनन-आयु की महिलाओं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण के तहत लागू किया गया है।
- राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस (एनडीडी)
- विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम
- गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित बाल परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम

- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)

मिशन पोषण 2.0 के तहत, सरकार मातृ पोषण, नवजात एवं शिशु पोषण मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि दुर्बलता, बौनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पोषण मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित है और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

विभिन्न तंत्र और सर्वेक्षण एजेंसियां समय-समय पर जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) देश भर के उच्च-रोगभार वाले जनजातीय जिलों में एनीमिया, कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का विवरण प्रदान करता है। भारत की जनगणना जनजातीय क्षेत्रों सहित जनसंख्या और परिवारों का विवरण प्रदान करती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों संबंधी घरेलू सर्वेक्षण प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 के प्रमुख संकेतकों की राज्यवार सूची दिए गए निम्न लिंक से प्राप्त की जा सकती है:

http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet_NFHS-5.shtml

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एनएचएम) के अंतर्गत, यह मंत्रालय महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, उपलब्ध मानदंडों और संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

******